

पंजाब में हिरासत में मारपीट के आरोपों पर एनएचआरसी सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

सवेरा न्यूज/धालीवाल, मोहित

नई दिल्ली/चंडागढ़, 6 सितंबर : पंजाब में हिरासत में मारपीट और यातना के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लिया है, जिसमें पंजाब पुलिस कर्मियों पर एक पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों के साथ हिरासत में मारपीट, यातना और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित सुनाम के गांव शेरों में नशे के मुद्दे के खिलाफ

विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद उसे कथित तौर पर पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

मामले पर आयोग के माननीय सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने विचार किया। पीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव, डीजीपी, एसपी संगरूर और जिलाधिकारी संगरूर को तत्काल जांच करने और दो सप्ताह के भीतर बिंदुवार एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने पीड़ित का तत्काल मेडिको-लीगल परीक्षण कराने, संबंधित पुलिस परिसर के सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह और

बिना किसी छेड़छाड़ के सुरक्षित रखने और उसकी प्रमाणित कॉपी पेन ड्राइव में जमा करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों को एफआईआर और हिरासत के रिकॉर्ड, हिरासत/पूछताछ से जुड़े सभी पुलिस कर्मियों का विवरण और पीड़ित के परिवार के सदस्यों से संबंधित आरोपों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि घटना से जुड़े सभी मेडिकल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, पुलिस रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य भौतिक साक्ष्यों को तुरंत सुरक्षित और संरक्षित किया जाए।

Source: <https://www.opindia.com/news-updates/cjp-leaders-can-face-legal-action-for-involving-minor-in-their-illegal-protest-nhrc-member-priyank-kanoongo/>

‘CJP leaders can face legal action for involving minor in their illegal protest’: NHRC member Priyank Kanoongo

Legal trouble might be brewing for Cockroach Janta Party (CJP) leaders as well as the parents of the 14-year-old girl who was suddenly shot to fame after insulting PM Modi during the CJP protests in June this year. The girl herself is facing legal action for insulting and abusing Hindu Gods in the videos she posted online.

According to the National Human Rights Commission (NHRC) and former chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), Priyank Kanoongo said that CJP leaders can face legal action for involving the minor girl in their ‘illegal protest’.

The former chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), Priyank Kanoongo, addressed the controversy surrounding the minor girl on Saturday (5th September). In a video posted on X, Kanoongo said that the CJP leaders can be made legally liable under Section 83(2) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. The provision criminalises the use of minors by an adult or a group of adults for illegal activities.

Kanoongo said that the provision applies to CJP leaders because the minor girl was involved in their protest, which was illegal. He said the protest extended beyond the period for which the Delhi Police had granted permission. He added that since the girl is a minor and is very active on social media, the social media platforms hosting her accounts can also be made liable. Kanoongo said that if her parents are found to have deliberately allowed her social media accounts to be misused, they can also be held accountable under the law.

At the same time, the NHRC members cautioned against disclosing the identity of the minor girl, including her name and pictures, as it violates the law.

Notably, an FIR was recently filed against the minor CJP protester and her father, Sanjay Azad, for making social media posts insulting Hindu Gods and hurting religious sentiments. The FIR was filed based on a complaint filed by Advocate-on-record, Amit Sachdeva. The complaint dated 5th September sought legal action over two social media posts insulting Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Saraswati, and Goddess Durga.

Source: <https://m.thewire.in/article/rights/from-police-inaction-to-custodial-cases-nhrc-flags-major-lapses-across-gujarat/amp>

From Police Inaction to Custodial Cases, NHRC Flags Major Lapses Across Gujarat

While the commission found serious shortcomings involving individual police officers and teams, it observed that the cases did not point to systemic failures across the police department.

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged several instances of alleged police inaction, administrative failures and high-handed law enforcement during its two-day camp sitting and open hearing in Gandhinagar on September 2 and 3.

The commission, headed by Chairperson Justice V. Ramasubramanian along with its members, examined 45 cases involving alleged human-rights violations across Gujarat. The matters covered police conduct, prohibition-law enforcement, food security, POCSO cases, institutional care, workplace safety and implementation of the POSH Act in the unorganised sector.

While the commission found serious shortcomings involving individual police officers and teams, it observed that the cases did not point to systemic failures across the police department.

Among the most significant developments was the recommendation of Rs 7.50 lakh compensation to Payal Goti of Amreli, whose arrest and alleged treatment in police custody had become a major controversy in Gujarat.

NHRC closes 27 cases, compensation crosses Rs 3.5 crore

During the two-day hearing, the NHRC examined complaints and reports submitted by complainants, government officials and NGOs. The commission closed 27 cases after examining compliance reports submitted by the authorities. In these matters, compensation payments reported by the authorities exceeded Rs 3.5 crore.

Several other cases, however, remain open and the commission has sought further reports from the concerned authorities. One such matter relates to the Bhavnagar spurious liquor tragedy, in which more than 13 people were reported to have died. The NHRC has sought an Action Taken Report on the incident.

Payal Goti case: Rs 7.5 lakh compensation recommended

One of the cases that drew particular attention during the hearing was the alleged unlawful arrest and public handling of Payal Goti in Amreli. The NHRC has recommended that the state government pay Rs 7.50 lakh in compensation to Goti.

The decision comes after a long-running controversy surrounding her arrest in the Amreli letter scandal and allegations regarding her treatment while in police custody.

Goti had alleged that she was subjected to physical and mental torture during custody. Questions were also raised over the manner in which she was allegedly taken into public view, leading to claims of mental and social harassment.

What was the Amreli letter controversy?

The case began after a letter allegedly written on a fake letterhead went viral on social media. The letter contained serious allegations, including claims of police bribery, against Kaushik Vekariya, Deputy Chief Whip of the Legislative Assembly and an MLA.

Police subsequently arrested four people in connection with the controversy, including Payal Goti and a Bharatiya Janata Party (BJP) leader.

Goti, who worked as a typist, was made an accused in the case. According to the allegations raised during the controversy, she should have been treated as a witness rather than an accused. The police action, particularly the manner in which she was allegedly taken through public places, became a major point of criticism.

There were also allegations that Goti was beaten during custody at the alleged behest of the BJP leader. The

Congress repeatedly raised questions over the incident.

Allegations of illegal arrest and custodial torture

Goti alleged that her arrest was illegal and that she faced both physical and mental torture while in police custody. The allegations also included claims that she was publicly paraded, causing further humiliation and social and mental distress.

The matter eventually reached the NHRC, which examined the allegations and the circumstances surrounding the police action. The NHRC's decision to recommend Rs 7.50 lakh compensation to Goti has now emerged as a significant development in the case.

Goti was granted bail in January 2025, following a prolonged legal battle. The compensation recommendation has given a new turn to her fight for justice and has put the conduct of the police in the case under renewed scrutiny.

Other serious police-human rights cases examined

The Payal Goti case was only one among several matters considered by the NHRC in Gandhinagar. The commission examined allegations involving custodial deaths, police atrocities, civic negligence, child-related tragedies and failures by authorities.

Representations submitted by human-rights activist Kantilal Parmar included the alleged death of Haniben Hareshbhai at Amreli Civil Hospital, the alleged public stripping and assault of a woman in Dahod, the Rajkot custodial death case and demands for cremation land for Scheduled Caste communities.

These cases formed part of the wider examination of alleged human-rights violations across Gujarat.

SC community had to travel 12 km for cremation

The commission also intervened in a long-standing issue involving cremation facilities for Scheduled Caste communities.

In Sathal village of Dholka, members of the community had reportedly been forced to travel around 12 km to perform cremation rites for decades. Following the NHRC's intervention, a grazing ground was resolved to be converted into a crematorium.

This means that residents of the village could finally perform last rites within the village after nearly 80 years.

Some Ahmedabad cases remain outside the NHRC review

While the commission examined several serious cases, some incidents mentioned in the broader set of complaints did not come under its scrutiny during the hearing.

These included the case of Ahmedabad's Chirag Vala, whose body was allegedly cremated as "unclaimed" even though his family had reported him missing.

The custodial death of 64-year-old Zahiruddin Shaikh at Vejalpur Police Station was another case that was not examined during the commission's proceedings.

Two major fire incidents were also outside the commission's overview. One was the illegal firecracker factory blast in Ramol, Ahmedabad, reported this year and said to have claimed 10 lives. The other was an explosion in Deesa, Banaskantha, last year, in which 21 people were reported killed.

Worker deaths and civic negligence also examined

The NHRC hearing was not limited to police cases. It considered complaints involving worker deaths, school infrastructure, food poisoning, water contamination and civic negligence.

In Bharuch, families of five workers who died in a chemical factory fire and explosion received compensation. In another Bharuch case, families of four workers who died after inhaling toxic gas at a Dahej plant were awarded more than Rs 2 crore.

In Ahmedabad, three workers died after an advertising hoarding collapsed. Criminal proceedings were initiated in that case.

These matters highlighted the human rights concerns surrounding workplace safety and civic responsibility.

27 bonded labour cases heard

The commission also examined 27 alleged bonded-labour cases. Justice V. Ramasubramanian pointed out that seasonal and migrant workers often leave their places of work before authorities are able to intervene. This can make it difficult for legal procedures to be completed.

He also highlighted the practice of advances being paid to middlemen to arrange workers for brick kilns.

According to his observation, such advances can result in workers being required to provide compulsory labour for a fixed period. He described this as a serious form of bonded labour that may often remain unrecognised.

Focus on prohibition, POCSO and workplace rights

Across the two-day sitting, the NHRC also discussed issues connected with Gujarat's prohibition law, food security, POCSO justice, institutional care and implementation of POSH provisions in the unorganised sector.

The range of cases showed that the commission's review extended beyond individual police complaints to

questions involving vulnerable communities, children, workers, women and people affected by administrative failures.

NHRC seeks accountability, but finds no systemic police failure

The commission's overall observation was significant: while it found discrepancies and lapses involving individual police officers or particular teams, it did not find evidence pointing to systemic lapses within the Gujarat police department.

At the same time, the cases heard in Gandhinagar highlighted multiple instances where alleged police inaction, excessive use of authority and administrative failures had serious consequences for individuals and families.

The Rs 7.50 lakh compensation recommended for Payal Goti, along with the commission's intervention in the Sathal cremation-ground matter and compensation awarded in worker-death cases, represents some of the key outcomes of the two-day hearing.

With several matters still open and further reports sought from authorities, the NHRC's Gandhinagar proceedings have kept the focus on accountability in cases where citizens allege that their basic rights were not protected.

Source: https://english.punjabkesari.com/india/nhrc-seeks-fir-against-officials-for-alleged-assault-on-man-in-punjab-police-custody/#google_vignette

NHRC seeks FIR against officials for alleged assault on man in Punjab Police custody

New Delhi, Sep 6 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has sought the registration of a First Information Report (FIR) against the Punjab police personnel concerned over allegations of custodial assault, torture and other serious human rights violations against a man, panel member Priyank Kanoongo said on Sunday.

Taking cognisance of the alleged incident, the NHRC had earlier issued notices to the Chief Secretary and Director General of Police (DGP) of Punjab, besides senior officials in Sangrur.

A Bench presided over by NHRC Member Kanoongo took cognisance of a complaint filed by Rajya Sabha member Tarun Chugh, alleging that Mohanjeet Singh was taken into police custody after he allegedly displayed a black flag during a "Lok Milni" programme at Village Sheron in Sunam on September 2.

Speaking to IANS, Kanoongo said: "We have taken cognisance of a complaint from Rajya Sabha MP Tarun Chugh. The complaint mentions that during an official event attended by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, a young man held a protest against the drug crisis in Punjab and attempted to display black flags to draw the Chief Minister's attention. The police took the young man into custody, assaulted him severely, subjected him to torture, and inflicted grievous injuries upon him."

"We have formally taken cognisance of this matter and issued notices to the DGP and the Chief Secretary, while instructing the District Magistrate and Superintendent of Police to carry out a medico-legal examination of the victim and submit the report to the Commission. We have also instructed that CCTV recordings from the relevant police station be secured and a copy furnished to the Commission," he added.

He said that acting on the notices issued by the NHRC, the Punjab government held a Deputy Superintendent of Police (DSP) responsible for the purported incident and has ordered his immediate transfer.

However, Kanoongo said: "Merely transferring a police officer is not a punishment. If someone has broken a law, action should be taken against him. Transfer is not a solution."

"We have sought the registration of an FIR," he added.

Source: <https://dailypioneer.com/news/nhrc-action-on-custodial-torture-complaint-indicts-punjab-govt-bjp>

NHRC action on custodial-torture complaint indicts Punjab Govt: BJP

BJP leader Tarun Chugh on Saturday said the National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of his complaint over the alleged custodial torture of a Sikh man who waved a black flag at a programme of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. Campaigns& Elections

A day earlier, Chugh had urged the NHRC to take suo-motu (on its own) cognisance of the alleged custodial torture of Mohanjeet Singh, who waved a black flag at Mann's programme in Sheron village on September 2 to protest against the Aam Aadmi Party (AAP) Government's handling of the drug menace in Punjab.

Chugh had requested the NHRC to send an independent fact-finding team to the village where the incident took place and the police station concerned, and direct the registration of an FIR against the officers involved, including the deputy superintendent of police (DSP).

The Rajya Sabha MP had also sought security and medical assistance for the victim and his family, alleging that they face serious threats from the state machinery.

The commission has taken cognisance of Chugh's letter and written to the Punjab Government over the matter. Sharing the NHRC letter on X, Chugh said the commission's action is a "serious" development and a "strong indictment" of the AAP Government's handling of human rights in Punjab.

"The Commission has ordered an immediate inquiry, medico-legal examination, preservation of CCTV footage and police records, and a point-wise Action Taken Report within two weeks," he said, adding that the action came even as Mann has "merely" transferred the DSP involved in the matter.

Chugh alleged that the transfer was "nothing" but a mere attempt to sweep the matter under the carpet.

"A transfer is not accountability. The NHRC's intervention must now ensure that the truth comes out and every person found responsible for custodial brutality is held strictly accountable," he said.

He also targeted AAP convenor Arvind Kejriwal over the "police excesses".

"Arvind Kejriwal, you and your goons cannot silence dissent through police excesses. Punjab deserves justice, dignity and the rule of law," he said.

In a letter to NHRC member Priyank Kanoongo, Chugh, who is also the BJP's national headquarters in-charge, had alleged that Singh was arrested and subjected to brutal custodial torture after he waved a black flag at Mann's programme in Sheron.

"Singh was subjected to brutality reminiscent of medieval-era torture," Chugh had said, adding that he was stripped naked and beaten in custody.

"The youth's thighs were cut with a blade, salt was rubbed onto his bleeding wounds, and he was subjected to repeated electric shocks," the BJP leader had claimed.

"In addition, a DSP-rank officer tortured and humiliated the youth's elderly mother and sister," he had alleged in his complaint.

Source: <https://www.thehansindia.com/news/cities/new-delhi/nhrc-seeks-fir-against-officials-for-alleged-assault-on-man-in-punjab-police-custody-1118697>

NHRC seeks FIR against officials for alleged assault on man in Punjab Police custody

Taking cognisance of the alleged incident, the NHRC had earlier issued notices to the Chief Secretary and Director General of Police (DGP) of Punjab, besides senior officials in Sangrur.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought the registration of a First Information Report (FIR) against the Punjab police personnel concerned over allegations of custodial assault, torture and other serious human rights violations against a man, panel member Priyank Kanoongo said on Sunday.

Taking cognisance of the alleged incident, the NHRC had earlier issued notices to the Chief Secretary and Director General of Police (DGP) of Punjab, besides senior officials in Sangrur.

A Bench presided over by NHRC Member Kanoongo took cognisance of a complaint filed by Rajya Sabha member Tarun Chugh, alleging that Mohanjeet Singh was taken into police custody after he allegedly displayed a black flag during a "Lok Milni" programme at Village Sheron in Sunam on September 2.

Speaking to IANS, Kanoongo said: "We have taken cognisance of a complaint from Rajya Sabha MP Tarun Chugh. The complaint mentions that during an official event attended by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, a young man held a protest against the drug crisis in Punjab and attempted to display black flags to draw the Chief Minister's attention. The police took the young man into custody, assaulted him severely, subjected him to torture, and inflicted grievous injuries upon him."

"We have formally taken cognisance of this matter and issued notices to the DGP and the Chief Secretary, while instructing the District Magistrate and Superintendent of Police to carry out a medico-legal examination of the victim and submit the report to the Commission. We have also instructed that CCTV recordings from the relevant police station be secured and a copy furnished to the Commission," he added.

He said that acting on the notices issued by the NHRC, the Punjab government held a Deputy Superintendent of Police (DSP) responsible for the purported incident and has ordered his immediate transfer.

However, Kanoongo said: "Merely transferring a police officer is not a punishment. If someone has broken a law, action should be taken against him. Transfer is not a solution."

"We have sought the registration of an FIR," he added.

Source: <https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/dsp-transferred-3-cops-shifted-to-police-lines-in-sangrur-101788634245101.html>

DSP transferred, 3 cops shifted to police lines in Sangrur

The action came after the victim, Mohanjit Singh of Sheron village, alleged that police in Sunam division tortured him in custody after detaining him for waving a black flag from the rooftop of a house near the venue of chief minister Bhagwant Mann's "Lok Milni" programme on September 2.

Amid mounting criticism from the Opposition over the alleged custodial torture of a youth in Sangrur, the Punjab Police on Saturday transferred a deputy superintendent of police (DSP) and shifted three other personnel to police lines.

The action came after the victim, Mohanjit Singh of Sheron village, alleged that police in Sunam division tortured him in custody after detaining him for waving a black flag from the rooftop of a house near the venue of chief minister Bhagwant Mann's "Lok Milni" programme on September 2. Mohanjit claimed that he was raising slogans against the AAP government's alleged failure to curb the drug menace.

According to the official order, Sunam DSP Harvinder Singh Khaira has now been posted as DSP First Commando Battalion, Bahadurgarh, Patiala, against a vacant post on administrative grounds with immediate effect.

Inspector Parteek Jindal, the station house officer (SHO) of the Sunam police station; sub-inspector Baljit Singh, the SHO of the Cheema police station, and assistant sub-inspector Harpreet Singh have been shifted to Sangrur police lines, also on administrative grounds.

On Friday, several political leaders, including MLAs Congress Sukhpal Singh Khaira and Partap Singh Bajwa, and Shiromani Akali Dal leaders Sukhbir Singh Badal and Bikram Singh Majithia, met Mohanjit at the Sangrur civil hospital, where he was undergoing treatment after the alleged torture, and demanded action against the accused cops.

Bajwa, Badal and Rajya Sabha MP Tarun Chugh also wrote to the National Human Rights Commission, urging appropriate action.

Senior Congress leader and Leader of Opposition Rahul Gandhi also spoke with him over the phone on Saturday. After meeting Mohanjit at the hospital, Punjab Congress Committee president Amarinder Singh Raja Warring announced that Congress workers across the state will show black flags to chief minister Bhagwant Mann everywhere he goes to protest against the police brutality.

Rejecting the inquiry ordered by the police into the incident, Warring demanded that the concerned SHO and the DSP must be dismissed immediately.

On Friday, Sangrur senior superintendent of police (SSP) Ravjot Grewal said there were discrepancies between the actual facts and what was being stated.

Addressing the media, the SSP said doctors had noted in the medico-legal report (MLR) that the possibility of self-inflicted injuries could not be ruled out. She further shared that according to the MLR, 10 injuries were reported, and no scalp or facial abrasion was found. Denying that the injuries were serious, she said X-rays and CT scans of his head, throat and chest were normal. "However strict action will be taken if any misconduct is found on the part of the police personnel," she added.

National Human Rights Commission orders inquiry

The National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday took cognisance of a complaint filed by Rajya Sabha MP Tarun Chugh in connection with the alleged custodial torture.

The matter was considered by an NHRC bench headed by member Priyank Kanoongo, which directed the Punjab chief secretary, director general of police, Sangrur superintendent of police and Sangrur district magistrate to

conduct an immediate inquiry and submit a point-wise action taken report within two weeks.

The commission also ordered an immediate medico-legal examination of the alleged victim and directed the authorities to preserve the complete, unedited CCTV footage of the police premises concerned and submit an authenticated copy on a pen drive.

The authorities have further been asked to provide the FIR and custody records, details of police personnel involved in the detention and interrogation, and a report on allegations concerning the victim's family members. The NHRC has directed that all relevant medical records, CCTV footage, police documents, electronic data and other evidence be secured and preserved to ensure that the allegations can be properly investigated.

Source: <https://www.bhaskarhindi.com/other/expire-injection-jaisi-ho-gayi-hai-congress-bjp-sansad-tarun-chugh-ne-kasa-tanz-1356246>

एक्सपायर इंजेक्शन जैसी हो गई है कांग्रेस, भाजपा सांसद तरुण चुघ ने कसा तंज

भाजपा सांसद तरुण चुघ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पार्टी एक्सपायर इंजेक्शन जैसी हो गई है। उन्होंने एसआरसीसी में पीएम मोदी के टीचर्स डे भाषण की सराहना की और केरल में कांग्रेस की झड़प और पंजाब में एक सिख युवक के उत्पीड़न पर एनएचआरसी के संज्ञान लेने पर प्रतिक्रिया दी।

Digital Desk | नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएनएस)। भाजपा सांसद

तरुण चुघ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पार्टी एक्सपायर इंजेक्शन जैसी हो गई है। उन्होंने एसआरसीसी में पीएम मोदी के टीचर्स डे भाषण की सराहना की और केरल में कांग्रेस की झड़प और पंजाब में एक सिख युवक के उत्पीड़न पर एनएचआरसी के संज्ञान लेने पर प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद तरुण चुघ ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसआरसीसी में युवाओं के सामने उभरते भारत की तस्वीर पेश की। उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 'फैजाइल फाइव' (कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) से दुनिया की शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने, स्टार्टअप, एआई, स्पेस, ड्रोन, कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और 'विकसित भारत' के विजन पर जोर दिया। हालांकि 'दिमागी नक्सलियों' पर होम्योपैथिक दवा का असर साफ दिख रहा है। उन्हें भारत की तरक्की और विकास की गाथा से नफरत है।

उन्होंने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे अपनी राजनीति की चिंता करें। आज कांग्रेस पार्टी एक्सपायर हो चुके इंजेक्शन की तरह हो गई है, जिसे किसी मरीज को नहीं दिया जा सकता। इसका एकमात्र मकसद शेल्फ से गिरना है। आपने (कांग्रेस) देश को हताशा और निराशा दी है।"

पंजाब में ड्रम के खिलाफ काम करने वाले सिख एक्टिविस्ट मोहनजीत सिंह को हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के मामले में एनएचआरसी के संज्ञान लेने पर भाजपा सांसद तरुण चुघ ने समाचार एजेंसी आईएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "पंजाब में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एक सोशल एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया, प्रताड़ित किया गया, बिजली के झटके दिए गए, अमानवीय व्यवहार किया गया, ब्लेड से काटा गया और घावों पर नमक डाला गया। पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व के गठजोड़ ने पंजाब में डर का माहौल बना दिया है। मोहनजीत सिंह के साथ हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।"

केरल कांग्रेस की विधायक राम्या हरिदास और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर भाजपा सांसद तरुण चुघ ने कहा, "कांग्रेस पार्टी में दलित समुदाय को सिर्फ दरबारी की भूमिका दी गई है। पिछले सात दशकों से, गांधी-नेहरू परिवार की चार पीढ़ियों ने उन दलित नेताओं के साथ बुरा बर्ताव किया है जिन्होंने वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। देश पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर के साथ किए गए अन्याय को कैसे भूल सकता है?"

Source: <https://lalluram.com/suspicious-death-of-an-undertrial-prisoner-in-parlakhemundi-sub-jail/>

पारलाखेमुंडी सब-जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत: पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप, NHRC के निर्देश पर जांच शुरू

Odisha Desk, गजपति: ओडिशा के गजपति जिले में स्थित पारलाखेमुंडी उप-कारागार (सब-जेल) में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान रायगढ़ थाना क्षेत्र के जीरांग तांकलासाही निवासी रुना बड़ा रायत के रूप में हुई है। पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत दर्ज एक मामले में वह गत 10 अगस्त से सब-जेल में बंद था। कैदी की मौत के बाद उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है।

मृतक की पत्नी ने बताया कि घटना से एक शाम पहले ही रुना ने उनसे फोन पर बात की थी और उस समय वह पूरी तरह स्वस्थ थे। हालांकि, देर रात लगभग 1 बजे अचानक फोन आया और बताया गया कि रुना की तबीयत खराब है और परिजनों को तुरंत अस्पताल पहुंचने को कहा गया।

पत्नी ने अपनी अस्वस्थता और बच्चे को बुखार होने की बात कहकर सुबह आने का अनुरोध किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से तुरंत आने का दबाव बनाया गया। जब परिजन सुबह जिला मुख्य अस्पताल (DHH) पहुंचे, तब तक रुना की मौत हो चुकी थी। भावुक होकर मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति को जेल के भीतर मार दिया गया है।

दूसरी ओर, जेल अधिकारी कामाक्षी पति ने बताया कि रात लगभग 8:30 बजे रुना को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी। जेल के फार्मासिस्ट ने उनका प्राथमिक उपचार कर दवाइयां दीं, लेकिन मध्यरात्रि करीब 12:25 बजे स्थिति बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जिला मुख्य अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आदर्श थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अपमृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। चूंकि कैदी की मौत हिरासत में हुई है, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ-साथ जेल में विभागीय जांच भी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।

Source: <https://hindi.news18.com/amp/news/lifestyle/relationships-parents-living-in-old-age-home-miss-their-children-more-than-partner-nhrc-report-ws-l-10810792.html>

वृद्धाश्रम पहुंचाया, फिर भी बच्चों की याद में नम हैं आंखें, क्यों नहीं टूटता मां-बाप का मोह?

Life At Old Age: जीवन भर बच्चे और परिवार के लिए जीने वाले लोग जब बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में रहने पर मजबूर हो तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं। लेकिन फिर भी इस स्थिति में पहुंचाने वाले बच्चों के लिए उनका मोह कम नहीं होता। NHRC की रिपोर्ट में वृद्धाश्रम की ऐसी तस्वीर सामने आयी है, जो मन में कई सवाल खड़े करती है। जैसे- खराब बर्ताव के बाद भी मां-बाप का मोह अपने बच्चों से क्यों नहीं खत्म होता?

जिस दिन एक औरत मां और एक आदमी पिता बनता है, उस दिन से वो अपनी जिंदगी अपने बच्चे के लिए जीना शुरू कर देते हैं। मां-बाप और बच्चों का रिश्ता सबसे गहरा माना जाता है। यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और जिंदगी भर की यादों का होता है। मां-बाप बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। उनकी छोटी-सी खुशी में खुश होते हैं और उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं। यहां तक कि जब यही बच्चे बड़े होकर अपने माता-पिता से दूरी बना लेते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं, तब भी बुढ़ी आंखें उन्ही के लिए तरस रही होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC) की हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग अपने जीवनसाथी की तुलना में अपने बच्चों को ज्यादा याद करते हैं। शायद वही बच्चा जिसने बचपन में मां-बाप की उंगली पकड़कर चलना सिखा और बड़े होकर बुढ़ापे में उन्हें ही वृद्धाश्रम पहुंचा दिया।

बच्चे जीवनभर की पूंजी होते हैं!

हर इंसान एक ही चक्र से गुजरता है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। जब व्यक्ति छोटा होता है तो उसकी देखभाल मां-बाप की जिम्मेदारी होती है, उसे पढ़ाने-लिखाने और योग्य बनाने के लिए पैरेंट्स हर चीज करते हैं। क्यों? इसके पीछे एक ही मनसा होती है, कि बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। इसे एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जिसकी मैच्युरिटी की कोई पक्की गारंटी नहीं होती सिर्फ एक उम्मीद होती है। इसी एक उम्मीद पर मां-बाप अपना सबकुछ अपने बच्चे को काबिल बनाने में झोंक देते हैं। लंबे समय से ये कहा भी जाता रहा है कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी औलाद होती है।

बुढ़ापे में सताती बीते कल की यादें

वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के पास पुंजी के रूप में सिर्फ बच्चों की प्यारी और मासूमियत से भरी यादें होती है। इसकी वजह है कि मां-बाप ने बच्चों के साथ केवल कुछ साल नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जिया होता है। मां-बाप बच्चों के लिए सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते, बल्कि उनके सपनों को अपना सपना बना लेते हैं। स्कूल की फीस से लेकर करियर और शादी तक, वे हर पड़ाव पर अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब बुढ़ापे में वही बच्चे दूर हो जाते हैं, तो खालीपन सिर्फ घर का नहीं, भावनाओं का भी होता है।

क्यों नहीं खत्म होता मोह

मां-बाप कभी उन अहसासों से उभर नहीं पाते हैं जब वो पहली बार अपने बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं, उसे हंसता देखते हैं, उसका पहला कदम अपनी तरफ बढ़ता देखते हैं। बच्चों के मन में अपने लिए प्यार और दूर जाने हो जाने के डर से घबराता देखते हैं। ये फीलिंग हर दिन एक पैरेंट को जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव होता है जब कई बार बच्चे साथ चलते-चलते बहुत आगे निकल जाते हैं, और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। ऐसे में जब बुढ़ी अवस्था में इंसान का शरीर कुछ करने की स्थिति में नहीं होता तो दिमाग उन्ही मीठी यादों को याद करके आराम महसूस करता है जो उन्होंने अपनी जवानी में जीया। ज्यादातर लोगों के लिए ये यादें अपने बच्चों से ही जुड़ी होती हैं।

Source: <https://bharatexpress.com/india/durg-nursery-girl-beaten-radhe-radhe-greeting-nhrc-notice-686776>

‘गुड मॉर्निंग’ की जगह बोला ‘राधे-राधे’... फिर मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, उससे मचा हड़कंप

Chhattisgarh Radhe Radhe Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल पर 3.5 साल की मासूम बच्ची को ‘राधे-राधे’ कहने पर पीटने और मुंह पर टेप लगाने का गंभीर आरोप लगा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से 2 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है.

Chhattisgarh Radhe Radhe Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चर्च से जुड़े स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की मासूम बच्ची को अपनी प्रिंसिपल को ‘राधे-राधे’ कहना भारी पड़ गया.

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मदर टेरेसा स्कूल की प्रिंसिपल पर 3.5 साल की बच्ची को ‘राधे-राधे’ बोलने पर छड़ी से मारने और मुंह पर टेप लगाने का आरोप लगा है. मामले में FIR के बाद आरोपी को जमानत मिल गई. NHRC ने संज्ञान लेते हुए प्रशासन से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है और बच्ची के नए स्कूल में दाखिले के निर्देश दिए हैं.

प्रिंसिपल पर मासूम को प्रताड़ित करने का आरोप

मामला दुर्ग जिले के नंदिनी क्षेत्र स्थित बागडुमर गांव के मदर टेरेसा स्कूल का है. बच्ची के पिता प्रवीण यादव के अनुसार, 30 जुलाई को उनकी 3.5 साल की बेटी स्कूल से लौटने के बाद काफी डरी-सहमी थी और बार-बार अपने होंठों पर उंगली रख रही थी. पूछने पर मासूम ने बताया कि जब उसने प्रिंसिपल इला इवान कॉल्विन को ‘राधे-राधे’ कहकर अभिवादन किया, तो प्रिंसिपल ने नाराज होकर उसकी हथेली पर छड़ी मारी और करीब 15 मिनट तक उसके मुंह पर टेप चिपका कर रखा.

पुलिस कार्रवाई और परिजनों की चिंता

घटना की जानकारी मिलने के बाद पिता गांव की सरपंच दामिनी साहू के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई. पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसी दिन उन्हें जमानत मिल गई और वे अगले ही दिन फिर से स्कूल पहुंच गईं. पीड़ित पिता (जो BPL वर्ग से आते हैं) का कहना है कि वे डर के कारण अपनी बेटी को अब उस स्कूल नहीं भेज रहे हैं और कानूनी मामले की वजह से किसी अन्य स्कूल में दाखिला मिलने को लेकर चिंतित हैं.

NHRC की कड़ी कार्रवाई और निर्देश

पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद, मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया. आयोग ने इसे बाल अधिकारों और आरटीई (RTE) अधिनियम का गंभीर उल्लंघन मानते हुए दुर्ग के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को नोटिस जारी किया है. आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है. साथ ही प्रशासन को निर्देश दिया है कि बच्ची को उसके माता-पिता की पसंद के नए स्कूल में आरटीई के तहत प्रवेश दिलाया जाए और उसे मानसिक काउंसलिंग भी प्रदान की जाए.

Source: <https://www.divyahimachal.com/2026/09/akali-dals-protest-march-in-chandigarh-demands-for-strict-action-raised-amidst-loud-slogan-shouting/amp/>

चंडीगढ़ में अकाली दल का रोष मार्च, कड़ी कार्रवाई की मांग, खूब लगाए नारे

सीएम भगवंत मान की पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में महिला इकाई ने खोला मोर्चा, सांसद हरसिमरत कौर को हिरासत में लेने पर हंगामा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डा. गुरप्रीत कौर पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल की महिला इकाई ने शनिवार को चंडीगढ़ में रोष मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी महिलाएं सीएम आवास की तरफ बढ़ीं। पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने सांसद हरसिमरत कौर बादल को हिरासत में ले लिया। सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अकाली महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग कर भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। अकाली दल का आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी पर पांच करोड़ रुपये मांगने के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी इस मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

हालांकि, ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अदालत में साबित नहीं हुए हैं। वहीं, मार्च के दौरान महिला कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के आमने-सामने आने की स्थिति में माहौल तनावपूर्ण होने की आशंका है। हरसिमरत कौर बादल पहले भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध चुकी हैं। उन्होंने एनएचआरसी के हस्तक्षेप को आरोपों की गंभीरता का संकेत बताते हुए मामले की जांच की मांग की थी। वहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोका जिसके बाद उन्होंने सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। दूसरी ओर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता परनीत कौर ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों पर लगे आरोपों को राजनीतिक बताकर खारिज करने के बजाय जांच एजेंसियों को सच्चाई सामने लानी चाहिए।

Source: <https://www.theindiadaily.com/state/punjab/sangrur-police-action-dsp-transferred-two-shos-asi-sent-to-police-lines-over-alleged-torture-case-news-133290>

मोहनजीत केस में पुलिस पर बड़ी गाज! DSP का तबादला, 2 SHO और ASI भी लाइन हाजिर

संगरूर के गांव शेरों के मोहनजीत सिंह से कथित पुलिस अत्याचार के मामले में पंजाब सरकार के गृह विभाग के आदेश पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। सुनाम के DSP हरविंदर सिंह खैहरा का तबादला कर दिया गया है, जबकि थाना सिटी सुनाम और थाना चीमा के SHO समेत एक ASI को पुलिस लाइन संगरूर भेजा गया है।

पंजाब के संगरूर जिले में युवक मोहनजीत सिंह से कथित पुलिस अत्याचार के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब सरकार के गृह विभाग के आदेश के बाद सुनाम के डीएसपी हरविंदर सिंह खैहरा का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा थाना सिटी सुनाम और थाना चीमा के SHO समेत एक ASI को पुलिस लाइन संगरूर भेज दिया गया है।

यह मामला संगरूर के नजदीकी गांव शेरों के रहने वाले मोहनजीत सिंह से जुड़ा है। उनके साथ कथित पुलिस अत्याचार के आरोप सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई है।

DSP हरविंदर सिंह खैहरा का तबादला

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत डीएसपी सब-डिवीजन सुनाम हरविंदर सिंह खैहरा को संगरूर से स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें डीएसपी प्रथम सीडीओ बटालियन बहादुरगढ़, जिला पटियाला के पद पर तैनात किया गया है। वहीं, एसएसपी संगरूर की ओर से थाना सिटी सुनाम के SHO इंस्पेक्टर प्रतीक जिंदल, थाना चीमा के SHO बलजीत सिंह और थाना सिटी सुनाम में तैनात ASI हरप्रीत सिंह को पुलिस लाइन संगरूर में लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

मोहनजीत इंसाफ संघर्ष कमेटी का गठन

मामले में इंसाफ की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 21 सदस्यीय मोहनजीत इंसाफ संघर्ष कमेटी का गठन किया है। कमेटी की ओर से मामले में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। संघर्ष कमेटी ने डीएसपी समेत संबंधित पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही 6 सितंबर, रविवार को एसएसपी कार्यालय संगरूर के सामने बड़े रोष प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। शनिवार को भी मोहनजीत सिंह से मुलाकात करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सिख संगठनों के प्रतिनिधियों का सिलसिला जारी रहा।

मानवाधिकार आयोगों में भेजी गई शिकायत

भाजपा नेता दामन बाजवा ने दावा किया कि मोहनजीत सिंह के साथ कथित पुलिस अत्याचार के मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को लिखित शिकायत भेजी गई है।

उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कथित पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। बाजवा ने कहा कि मोहनजीत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।

Source: <https://www.punjabkesari.com/india-news/kale-jhande-vivad-mein-yuvak-ki-pitai-par-nhrc-sakht-punjab-sarkar-se-mangi-report/>

भगवंत मान को काले झंडे दिखाने की कोशिश पर युवक की पिटाई को लेकर एनएचआरसी सख्त, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ध्यान खींचने के लिए काले झंडे दिखाने की कोशिश पर एक युवक को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे जाने को लेकर भाजपा सांसद तरुण चुघ की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की प्रतिक्रिया सामने आई है। आईएनएस से बातचीत करते हुए एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा, “हमें राज्यसभा सांसद तरुण चुघ की ओर से एक शिकायत मिली है, जिस पर हमने संज्ञान लिया है। शिकायत में कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी वाले एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक...

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ध्यान खींचने के लिए काले झंडे दिखाने की कोशिश पर एक युवक को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे जाने को लेकर भाजपा सांसद तरुण चुघ की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की प्रतिक्रिया सामने आई है।

आईएनएस से बातचीत करते हुए एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा, “हमें राज्यसभा सांसद तरुण चुघ की ओर से एक शिकायत मिली है, जिस पर हमने संज्ञान लिया है। शिकायत में कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी वाले एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का ध्यान खींचने के लिए काले झंडे दिखाने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, उसे प्रताड़ित किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया।”

प्रियंक कानूनगो ने कहा, “हमने इस मामले का औपचारिक रूप से संज्ञान लिया है और डीजीपी व मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही हमने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे पीड़ित की मेडिको-लीगल जांच करवाएं और उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपें। हमने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए और उसकी एक कॉपी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।”

एनएचआरसी सदस्य ने कहा कि हमारी ओर से नोटिस भेजने के बाद पंजाब सरकार ने पूरी घटना में एक डीएसपी को जिम्मेदार मानते हुए ट्रांसफर किया है। अगर ने सजा देना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा गया है।

Source: <https://www.jagran.com/punjab/chandigarh-nhrc-takes-cognizance-of-assault-in-police-custody-after-showing-black-flag-to-cm-seeks-report-from-punjab-government-40363846.html>

CM को काला झंडा दिखाने के बाद पुलिस हिरासत में मारपीट, NHRC ने लिया संज्ञान; पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री के 'लोक मिलनी' में काला झंडा दिखाने वाले मोहनजीत सिंह पर कथित पुलिस प्रताड़ना का संज्ञान लिया है। रोहित कुमार, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान नशे के मुद्दे पर काला झंडा दिखाने के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए मोहनजीत सिंह से कथित मारपीट और प्रताड़ना के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। राज्यसभा सदस्य तरुण। चुग की ओर से बीती चार सितंबर को दी गई शिकायत पर आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, संगरूर के पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले में तत्काल जांच कर नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर बिंदुवार कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

गंभीर मारपीट और प्रताड़ना

आयोग के समक्ष रखी शिकायत के अनुसार, दो सितंबर को संगरूर के सुनाम स्थित गांव शेरों में मुख्यमंत्री के 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान मोहनजीत सिंह ने पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए काला झंडा दिखाया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया और वहां उनके साथ गंभीर मारपीट और प्रताड़ना की गई।

उन्हें चोटें पहुंचाने और बिजली के झटके देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में पुलिसकर्मियों पर उनकी धार्मिक पहचान के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि पुलिसकर्मियों ने उनका जूड़ा खोलकर बाल और दाढ़ी खींची।

उनकी मां और बहन के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप भी शिकायत में लगाए गए हैं। इसके अलावा कथित हिरासत के दौरान वीडियो काल के माध्यम से पीड़ित को घायल और बिना कपड़ों की स्थिति में दिखाए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

मेडिकल जांच और सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश

एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया। आयोग ने पीड़ित का तत्काल चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल जांच रिपोर्ट, चोटों का विवरण और दिए गए उपचार की जानकारी भी मांगी गई है।

आयोग ने संबंधित पुलिस थाने और पुलिस परिसर की पूरी और बिना एडिट वाली सीसीटीवी फुटेज तत्काल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसकी प्रमाणित प्रति पेन ड्राइव में आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। कथित वीडियो काल से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हिरासत का पूरा रिकार्ड मांगा

आयोग ने गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े रिकार्ड, डीडीआर/जीडी प्रविष्टियां तथा अन्य पुलिस दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। मामले में प्राथमिकी दर्ज है या नहीं, इसकी जानकारी के साथ लगाई गई धाराओं और जांच की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी गई है। यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है तो उसका कारण बताना होगा।

मोहनजीत सिंह की हिरासत या पूछताछ से जुड़े सभी पुलिसकर्मियों के नाम, पद, तैनाती और उनकी भूमिका की जानकारी भी आयोग को देनी होगी। आयोग ने किसी पुलिसकर्मी के प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाए जाने पर उसके खिलाफ की गई विभागीय या आपराधिक कार्रवाई का विवरण भी मांगा है।

पीड़ित की मां और बहन के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की अलग से जांच कर उसके निष्कर्ष रिपोर्ट में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। संगरूर के जिला मजिस्ट्रेट को आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पीड़ित की चिकित्सकीय स्थिति की जांच कराने को कहा गया है।

आयोग ने सभी मेडिकल रिकार्ड, सीसीटीवी फुटेज, पुलिस रिकार्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मामला आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

Source: <https://www.bhaskarhindi.com/other/kale-jhande-vivad-mein-yuvak-ki-pitai-par-nhrc-sakht-punjab-sarkar-se-mangi-report-1356171>

भगवंत मान को काले झंडे दिखाने की कोशिश पर युवक की पिटाई को लेकर एनएचआरसी सख्त, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ध्यान खींचने के लिए काले झंडे दिखाने की कोशिश पर एक युवक को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे जाने को लेकर भाजपा सांसद तरुण चुघ की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Digital Desk | नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ध्यान खींचने के लिए काले झंडे दिखाने की कोशिश पर एक युवक को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे जाने को लेकर भाजपा सांसद तरुण चुघ की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की प्रतिक्रिया सामने आई है।

आईएनएस से बातचीत करते हुए एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा, "हमें राज्यसभा सांसद तरुण चुघ की ओर से एक शिकायत मिली है, जिस पर हमने संज्ञान लिया है। शिकायत में कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी वाले एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का ध्यान खींचने के लिए काले झंडे दिखाने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, उसे प्रताड़ित किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया।"

प्रियंक कानूनगो ने कहा, "हमने इस मामले का औपचारिक रूप से संज्ञान लिया है और डीजीपी व मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही हमने जिलालीगल जांच करवाएं और उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपें। हमने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए और उसकी एक कॉपी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।"

एनएचआरसी सदस्य ने कहा कि हमारी ओर से नोटिस भेजने के बाद पंजाब सरकार ने पूरी घटना में एक डीएसपी को जिम्मेदार मानते हुए ट्रांसफर किया है। अगर ने सजा देना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा गया है।

Source: <https://www.tv9hindi.com/india/instagram-csam-ads-nhrc-pocso-reporting-meta-cybertiplines-3899829.html>

इंस्टाग्राम पर 19 लाख चाइल्ड एब्यूज अलर्ट, फिर भी कार्रवाई का हिसाब नहीं! आखिर कहां अटक रहा POCSO का नियम?

इंस्टाग्राम पर CSAM से जुड़े विज्ञापनों के मामले में NHRC ने Meta समेत कई एजेंसियों से जवाब मांगा है। सवाल है कि 19 लाख साइबरटिपलाइन रिपोर्ट के बावजूद FIR और पुलिस एक्शन इतना कम क्यों है।

इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल से जुड़े विज्ञापनों का मामला सिर्फ सोशल मीडिया मॉडरेशन की चूक भर नहीं है, बल्कि यह भारत में ऐसे क्राइम की रिपोर्टिंग और एक्शन के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मेटा, केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MeitY), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आयोग को शिकायत मिली थी कि इंस्टाग्राम पर चलाए गए कुछ पेड विज्ञापन, आपत्तिजनक सर्च वर्ल्ड्स के जरिए यूजर्स को ऐसे टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचा रहे थे जहां बच्चों से जुड़ा यौन शोषण मटेरियल (CSAM) मौजूद था। भारत में साइबरटिपलाइन के जरिए साल 2025 में करीब 19 लाख रिपोर्ट मिलीं, मगर FIR का डेटा काफी कम रहा।

इस पूरे विवाद को यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट और गहरा कॉन्टेक्ट देती है। 21 देशों में 12 से 17 साल के करीब 2.1 करोड़ इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चों पर हुए स्टडी में सामने आया कि लगभग 2 करोड़ बच्चों ने बीते एक साल में टेक्नोलॉजी के जरिए किसी न किसी रूप में यौन शोषण या उत्पीड़न का सामना किया। इनमें से डेढ़ करोड़ को बिना उनकी इच्छा के यौन सामग्री दिखाई गई, जबकि 40 लाख बच्चों की निजी तस्वीरें बिना सहमति शेयर कर दी गईं। करीब 60 फीसदी मामले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुए, लेकिन 1 फीसदी से भी कम मामलों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंच पाई।

NHRC ने आखिर क्या पूछा है

आयोग ने अपने नोटिस में दो बड़े सवाल उठाए हैं। पहला, क्या POCSO यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, 2012 के तहत तय रिपोर्टिंग की कानूनी जिम्मेदारी का पालन किया गया। दूसरा, क्या ऐसे प्लेटफॉर्म जिनका AI सिस्टम कंटेंट को एक्टिवली आकार देता है, वे इंटरमीडियरी यानी बीच की कड़ी को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का दावा जारी रख सकते हैं।

पहले सवाल पर आयोग ने मेटा से पूछा है कि क्या कथित क्राइम की जानकारी पुलिस को दी गई थी और अगर नहीं दी गई तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए। POCSO एक्ट की धारा 19 के तहत यह जरूरी है कि जिस किसी को भी ऐसे अपराध की आशंका हो या जानकारी हो, वह इसकी सूचना स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस को दे। आयोग ने साफ कहा है कि इस जिम्मेदारी की जगह इंटरनल बातचीत, शिकायत निवारण या रेगुलेटरी बातचीत नहीं ले सकती।

दूसरा सवाल एक अलग याचिका से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि मेटा के AI बेस्ड टूल्स अब सिर्फ थर्ड पार्टी कंटेंट होस्ट नहीं करते, बल्कि कैप्शन जनरेट करने, पोस्टिंग शेड्यूल सुझाने और एंगेजमेंट बढ़ाने में भी मदद करते हैं। आयोग ने इसे एक अहम रेगुलेटरी सवाल बताते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछा है कि क्या ऐसे प्लेटफॉर्म अब भी इंटरमीडियरी की कैटेगरी में आते हैं या फिर IT Rules 2021 के तहत ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के पब्लिशर जैसी भूमिका निभा रहे हैं।

रिपोर्ट से FIR तक का लंबा और उलझा रास्ता

मेटा से जुड़ा यह मामला भले ही एक शिकायत पर बेस्ड हो, लेकिन यह उस बड़े सिस्टम की झलक भर है जो रिपोर्ट्स को सजा तक पहुंचाने में पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। 2025 में मिली 19 लाख रिपोर्ट में से बेहद कम मामले ही पुलिस एक्शन तक पहुंच पाए। साइबरटिपलाइन एक ऐसा अलर्ट सिस्टम है जो तब एक्टिव होता है जब कोई टेक कंपनी बच्चों से जुड़े यौन शोषण मटेरियल का पता लगाती है। यह रिपोर्ट पहले अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के पास जाती है और भारत से कनेक्शन दिखने पर इसे भारतीय एजेंसियों को भेजा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास जाती हैं, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। इसके बाद इन्हें संबंधित राज्य और जिला एजेंसियों तक भेजा जाता है। दिल्ली में यह जिम्मेदारी इंटेलिजेंस प्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट यानी IFSO की होती है, जो जिले की पहचान कर मामला संबंधित थाने को भेजती है।

NCRB की 2024 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बताती है कि बच्चों के खिलाफ IT एक्ट के तहत दर्ज 1,238 साइबर क्राइम मामलों में से 1,099, यानी करीब नौ में से आठ मामले, बच्चों से जुड़ी यौन सामग्री के पब्लिश या ट्रांसमिशन से जुड़े थे। FIR दर्ज होने से पहले जांचकर्ता अकाउंट डिटेल, IP लॉग, ईमेल, फोन नंबर और डिजिटल हैश वैल्यू जैसी जानकारी के आधार पर यह पता लगाते हैं कि सामग्री कहां से अपलोड या शेयर की गई। दीवान बताते हैं कि अगर तस्वीर या वीडियो पहली नजर में किसी नाबालिग से जुड़ा आपत्तिजनक मटेरियल लगता है, तभी उस आधार पर FIR दर्ज की जाती है, लेकिन अक्सर बच्चे की उम्र साबित करना मुश्किल हो जाता है। धुंधली तस्वीरें या अस्पष्ट बैकग्राउंड होने पर केस दर्ज करने में भी दिक्कत आती है। एक बार FIR दर्ज होने के बाद जांचकर्ता प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइबर जानकारी, IP एड्रेस और डिवाइस जब्त कर फॉरेंसिक जांच शुरू करते हैं।

कोर्ट में मामले और आगे की चुनौतियां

ऐसे मामलों की सुनवाई POCSO एक्ट के तहत बनी स्पेशल कोर्ट में होती है, जिन्हें IT एक्ट की धारा 67B से जुड़े मामलों की सुनवाई का भी अधिकार है। लेकिन सजा दिलाने में डिजिटल सबूत की भूमिका सबसे अहम होती है और बचाव पक्ष अक्सर यह सवाल उठाता है कि डिवाइस या SIM इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति वही था या नहीं। मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक, असली दिक्कत यह है कि साइबरट्रैपलाइन रिपोर्ट सिर्फ यह बताती है कि मटेरियल कहां मिला, न कि वह कहां से शुरू हुआ। हर अतिरिक्त प्रोसेस एक ऐसी देरी है जिसे कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही, अपराधी अब एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म और AI जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, जिससे पुराने तरीकों से पहचान करना और मुश्किल होता जा रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट भी इसी तस्वीर की पुष्टि करती है। करीब 40 फीसदी मामले कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं किए गए, जबकि 1 फीसदी से भी कम मामले पुलिस या हेल्पलाइन तक पहुंचे। यूनिसेफ ने प्लेटफॉर्म को डिजाइन से सेफ बनाने, कानूनों को मजबूत करने, भरोसेमंद रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने और बच्चों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी डालने की बजाय परिवार, स्कूल और समाज को जवाबदेह बनाने की सिफारिश की है। साफ है कि मेटा को भेजा गया NHRC का नोटिस भले ही एक शिकायत से शुरू हुआ हो, लेकिन यह उस बड़े और उलझे हुए सिस्टम की तरफ इशारा करता है जहां रिपोर्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद न्याय तक पहुंचने वाले मामलों का हिसाब अब भी अधूरा है।